न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– प्रिया बजाज आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या :– 24/2025 (2025/83 जीसीएमएस)

भरताराम पुत्र नानकराम जाति कुम्हार साकिन 5 केडी–बी तहसील रावाला, जिला श्रीगंगानगर।

....प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार राजस्व रावला जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री सन्दीप यादवच, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. स्टेट की ओर से राजपैरोकार नायब तहसीलदार घड़साना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.12.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता नानकराम के नाम से तहसील रावला के चक 5 केडी–बी के प0 नं0 171/37 मु0 नं0 18 के किला नं0 1, 2, 3, 8, 9 की कुल 1.000 है0 व प0 नं0 171/19 मु0 नं0 10 के किला नं0 5 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 1.253 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी के नाम से विरास्तन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गई लेकिन प्रार्थी के नाम से उक्त भूमि विरास्तन दर्ज होने से पूर्व उक्त मु0 नं0 171/19 को राजस्व रिकॉर्ड में 171/29 संशोधित कर दर्ज किया गया इसलिए प्रार्थी के नाम से मु0 नं0 171/37 व 171/29 की भूमि जरिये विरास्तन इन्तकाल सं0 72 के जरिये दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। अब प्रार्थी द्वारा अपने नाम से दर्ज उक्त भूमि के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

रिकॉर्ड का पता किया तो प्रार्थी को पता चला कि प्रार्थी के नाम से मात्र प0 नं0 171/37 मु0 नं0 18 के किला नं0 1, 2, 3, 8, 9 की 1.000 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है जबकि प0 नं0 171/19 (संशोधित प0 नं0 171/29) मु0 नं0 10 के किला नं0 5 की 0.253 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा पता करने पर पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में तो उक्त मु0 नं0 171/19 की भूमि दर्ज है लेकिन उसके बाद राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय सहवन से उक्त मुरब्बा की भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज होने से रह गई है। उक्त भूमि सहवन से प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं हुई है, जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज थी एवं उनके देहान्त के बाद प्रार्थी को विरास्तन प्राप्त हुई वा जरिये विरास्तन नामान्तरण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई इसलिए राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सहवन से हटाये गये उक्त मुरब्बा के अंकन को दुरूस्त किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थी को उक्त मुरब्बा का अंकन हटाये जाने का ईल्म होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर उक्त दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी द्वारा कहा कि आप उपरी अदालत से आदेश लेकर आओ तभी उक्त अंकन को दुरूस्त करेगें। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त अंकन को दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से दर्ज उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में तहसील रावला के चक 5 केडी–बी के प0 नं0 171/37 मु0 नं0 18 के किला नं0 1, 2, ,3, 8, 9 की कुल 1.000 है0 भूमि के साथ ही सहवन से हटाये गये प0 नं0 171/19 (संशोधित प0 नं0 171/29) मु0 नं0 10 के किला नं0 5 की 0.253 है0 भूमि के अंकन को दुरूस्त कर उक्त प0 नं0 171/19 (संशोधित प0 नं0 171/29) मु0 नं0 10 के किला नं0 5 की 0.253 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से पुनः दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वादपत्र के सम्बंध में हल्का पटवारी 3 केडी–ए से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 5 केडी–बी के प0 नं0 171/37 किला नं0 1 ता 3/0.759, 8/0.127, 9/2/0.114 कुल 1.000 है0 कमाण्ड रकबा ममता पत्नी पालाराम जाति बिश्नोई साकिन 5 केडी–बी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का बेचान भरताराम पुत्र नानकराम जाति कुम्हार साकिन 5 केडी–बी द्वारा ममता पत्नी पालाराम को किया गया है। प0 नं0 171/19 चक 5 केडी–बी में नहीं है। सम्वत् 2049–51 की जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया गया कि भरतराम पुत्र नानकराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार के नाम से प0 नं0 171/29 किला नं0 5 दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2053–56 में प0 नं0 171/29 की जगह प0 नं0 171/19 के किला नं0 5 भरतराम के नाम दर्ज हो गया जो जमाबन्दी सम्वत् 2057760, 2061–2064, 2065–2068, 2069–2072 तक दर्ज रिकॉर्ड रहा। सेग्रीगेशन के समय उक्त प0 नं0 171/19 किला नं0 5 का अंकन प0 नं0 171/29 दुरूस्त न होकर जमाबन्दी में अंकन नहीं हुआ। अतः प0 नं0 171/29 किला नं0 5 की 0.253 है0 कमाण्ड भूमि भरतराम पुत्र नानकराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार अंकन दुरूस्त किया जाना उचित है। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त भूमि पर कोई विवाद स्थगन नहीं है। मौके पर उक्त प0 नं0 171/29 किला नं0 5 पर भरतराम के द्वारा काश्त करवाई जा रही है।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की जमाबन्दी 2049–2052, 2053–2056, 2057–2060, 2061–2064 पेश की गई जिसमें उक्त प0 नं0 171/19 के किला नं0 5 की 0.253 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, लेकिन जमाबन्दी कर सेग्रीगेशन करते समय उक्त प0 नं0 171/19 की दुरूस्ती कर प90 नं0 171/29 करने के स्थान पर उसका अंकन ही जमाबन्दी में नहीं हुआ। जिसे दुरूस्त किया जाकर जमाबन्दी में अंकन किये

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार राज द्वारा अपनी बहस के दौरान राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी के नाम विरास्तन इन्तकाल से पूर्व में दर्ज प0 नं0 171/19 (संशोधित प0 नं0 171/29) मु0 नं0 10 के किला नं0 5 की 0.253 है0 भूमि जो जमाबन्दी में सेग्रीगेशन के समय अंकन होने से रह गया है जो सहवन से हुआ प्रतीत होता है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसील रावला के चक 5 केडी–बी के प0 नं0 171/37 मु0 नं0 18 के किला नं0 1, 2, ,3, 8, 9 की कुल 1.000 है0 भूमि के साथ ही सहवन से हटाये गये प0 नं0 171/19 (संशोधित प0 नं0 171/29) मु0 नं0 10 के किला नं0 5 की 0.253 है0 भूमि के अंकन को दुरूस्त कर उक्त प0 नं0 171/19 (संशोधित प0 नं0 171/29) मु0 नं0 10 के किला नं0 5 की 0.253 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी भरताराम पुत्र नानकराम के नाम से पुनः दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। तहसीलदार रावला को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मैरे द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रिया बजाज
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना